

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )  
वाद सं० : 23 सन 2022

अनवान :-

1. दलीप पुत्र लालूराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरुस्ती अन्तर्गत धारा 138  
भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपरिथत :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
निर्णय दिनांक :- 22/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 148/146 के खसरा न० 320 की 7.8280हैक खसरा न० 52 की 2.9720हैक कुल 10.800हैक में से 619/1800 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण दलीपराम पुत्र लालूराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम दलीप पुत्र लालूराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र लालूराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 148/146 के खसरा न० 320 की 7.8280हैक खसरा न० 52 की 2.9720हैक कुल 10.800हैक में से 619/1800 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम दलीपराम पुत्र लालूराम के स्थान पर दलीप पुत्र लालूराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 148/146 के खसरा न० 320 की 7.8280हैक खसरा न० 52 की 2.9720हैक कुल 10.800हैक में से 619/1800 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण दलीपराम पुत्र लालूराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम दलीप पुत्र लालूराम है यही नाम अन्य सभी

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र लालूराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 148/146 के खसरा न0 320 की 7.8280हैव खसरा न0 52 की 2.9720हैव कुल 10.800हैव में से 619/1800 हिस्सा भूमि खातेदार काशतकार है जिसमें प्रार्थी का नाम दलीपराम पुत्र लालूराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम दलीप पुत्र लालूराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र लालूराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /सरपंच की तरदीक /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नहीं के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पैरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी ने रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 148/146 के खसरा न0 320 की 7.8280हैव खसरा न0 52 की 2.9720हैव कुल 10.800हैव में से 619/1800 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम दलीपराम पुत्र लालूराम दर्ज है के स्थान पर दलीप पुत्र लालूराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीय तकमील जाव्वा दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/03/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया

।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 23/2022 अनवानी दलीप बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. दलीप पुत्र लालूराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 23/2022 अनवानी दलीप बनाम सरकार में दिनांक 22/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी ने रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 148/146 के खसरा न0 320 की 7.8280 हैक्टर खसरा न0 52 की 2.9720 हैक्टर कुल 10.800 हैक्टर में से 619/1800 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम दलीपराम पुत्र लालूराम दर्ज है के स्थान पर दलीप पुत्र लालूराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ़)